देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 252 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...संसद
बीजेपी के हाथ

पेज थ्री

देहरादून, शुक्रवार, 15 नवंबर 2019

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 26.0° न्यूनतम 15.0°

40286.48 | 2 पीएम मोदी और शी चिनफिंग की मुलाकात | 7 टेस्ट मैंचः भारत की मजबूत शुरुआत

अमित शाह बोले, माफी मांगें सवाल उठाने वाले

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। राफेल डील मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद बीजेपी चीफ अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्र हित से ऊपर अपनी निजी राजनीति को रखने का काम किया था। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन लोगों के लिए जोरदार जवाब है, जो आधारहीन और द्वेषपूर्ण प्रचार में जुटे थे। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार के पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त होने पर मुहर लगाई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कांग्रेस के राफेल विरोध के पीछे सोची-समझी साजिश थी। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

राफेल डील को सुको की क्लीन चिट

■याचिकार्ताओं की दलील को सर्वोच्च अदालत ने नकार दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर से जांच की कोई जरूरत नहीं

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। राफेल डील की जांच के लिए दाखिल रिव्यू पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने सरकार को क्लीन चिट दी।

संविधान पीठ ने कहा कि मामले की अलग से जांच करने की कोई आवश्वयकता नहीं है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार की दलीलों को तर्कसंगत और पर्याप्त बताते हुए माना कि केस के मेरिट को देखते हुए फिर से जांच के आदेश देने की जरूरत नहीं है। 14 दिसंबर 2018 को राफेल खरीद प्रक्रिया और इंडियन ऑफसेट पार्टनर के चुनाव में सरकार द्वारा भारतीय कंपनी को फेवर किए जाने के आरोपों की जांच की गुहार लगाने वाली तमाम याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसले लेने की प्रक्रिया में कहीं भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है।

केंद्र की दलील, कीमत जानना कोर्ट की प्राथमिकता नहीं

केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी कीमत नहीं जानना चाहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रक्रिया के बारे में जानना चाहा है। हमने कोर्ट के सामने प्रक्रिया बताई थी। सीएजी की रिपोर्ट के बारे में जो बयान केंद्र सरकार ने दिया था उसे ठीक करने के लिए अगले दिन अर्जी दाखिल कर दी थी जो पेंडिंग है। इस प्रक्रिया में अगर कोई गलती हुई तो भी इस आधार पर रिव्यू नहीं हो सकता।

मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया थाः सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राफेल मामले में दाखिल रिव्यू पिटिशन पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी व अन्य की ओर से राफेल डील मामले में जांच की मांग की गई। केंद्र सरकार ने का कि राफेल देश की जरूरत है और याचिका खारिज करने की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगई की अगुवाई वाली बेंच इस पर फैसला दे दिया है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि मामले में पहली नजर में कोई संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है।

याचिकाकर्ताओं की दलील, केंद्र ने छुपाए तथ्य

मामले की सुनवाई के दौरान एक तरफ जहां याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का 14 दिसंबर 2018 का जजमेंट खारिज किया जाए और राफेल डील की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। प्रशांत भूषण ने इस दौरान कहा कि केंद्र सरकार ने कई फैक्ट सुप्रीम कोर्ट से छुपाया। दस्तावेज दिखाता है कि पीएमओ ने पैरलल बातचीत की थी और यह गलत है। पहली नजर में मामला संज्ञेय अपराध का बनता है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पुराना जजमेंट कहता है कि संज्ञेय अपराध में केस दर्ज होना चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

मूडीज ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। आर्थिक मोर्चे पर पहले से ही मुश्किलों में घिरी मोदी सरकार को गुरुवार को एक और झटका लगा है। मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 5.8 प्रतिशत से घटाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया है। उसने कहा कि जीडीपी में नरमी अपेक्षा के विपरीत लंबी अवधि तक खींच गई है, जिसके कारण उसे अपने अनुमान को कम करना पड़ा है।

एचसी ने दिल्ली के सरकारी विभागों की खिंचाई की

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। राजधानी में एयर इमर्जेंसी पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और संबंधित प्राधिकरणों की जमकर खिंचाई की और कहा कि प्रदूषण से लड़ने के उपायों को लागू करने की इच्छाशक्ति में कमी है। हाई कोर्ट ने कहा कि आम जनता सहित सभी हित धारकों से इससे लड़ने में अग्र-सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी।

राजकीय सम्मान के साथ होगा महान गणितज्ञ का अंतिम संस्कार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) पटना। निधन के बाद एक घंटे तक ऐंबुलेंस की राह देखते रहे महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मामले पर बिहार की नीतीश सरकार की छीछालेदार के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राजकीय सम्मान के साथ गणितज्ञ की अंतिम विदाई की बात कही। बता दें कि देश के स्टीफन हॉकिंग कहे जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह का आज सुबह पटना मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल में निधन हो गया। वह 74 वर्ष के थे और स्किट्सफ्रीनिया से पीड़ित थे। निधन के बाद वशिष्ठ सिंह के पार्थिव शरीर को एक घंटे तक ऐंबुलेंस का इंतजार करना पड़ा।

बड़ी बेंच गया सबरीमाला, मस्जिद पर भी विचार

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

3:2 के बहुमत से लिया गया फैसला, जस्टिस नरीमन, चंद्रचूड़ खिलाफ

नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने का मामला लटक गया है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं को गुरुवार को बड़ी बेंच को भेज दिया। 3 जजों ने बहुमत से मामले को 7 जजों की संविधान पीठ को रेफर किया है जबकि 2 जजों- जस्टिस नरीमन और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके खिलाफ अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर ही नहीं, मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश तथा दाऊदी बोहरा समाज में स्त्रियों के खतना सहित विभिन्न धार्मिक मुद्दे नए सिरे से विचार के लिए सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंपा है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और भाग-3 के अन्य प्रावधानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए।

महिलाओं का प्रवेश मंदिर तक ही सीमित नहीं: सुको

चीफ जस्टिस गोगोई ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बहस को पुनर्जीवित करना चाहता है कि धर्म का अभिन्न अंग क्या है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूजा स्थलों में महिलाओं का प्रवेश सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है।

मस्जिदों में भी महिलाओं का प्रवेश शामिल है। अब 7 जजों की संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि महिलाओं के प्रवेश का पिछला फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा।

केरल में पहले से ही हाई अलर्ट

28 सितंबर, 2018 को सुको के फैसले पर हिंसक विरोध के बाद 56 पुनर्विचार याचिकाओं सहित कुल 65 याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह फैसला लिया है। फैसले से पहले ही केरल में हाई अलर्ट था। केरल पुलिस ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। पूजा फेस्टिवल के लिए सबरीमाला के आसपास 10 हजार जवानों की तैनाती की गई है। 307 महिला पुलिस भी सुरक्षा संभाल रही हैं।

खट्टर सरकार का कैबिनेट विस्तार, 10 मंत्रियों ने ली शपथ, संदीप सिंह भी बने मंत्री

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

चंडीगढ़। हरियाणा में करीब तीन हफ्ते से लटका मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया। गुरुवार को कुल 10 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें से 6 कैबिनेट और 4 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हैं।

बीजेपी कोटे से 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि एक मंत्री जेजेपी और एक निर्दलीय कोटे से है।

बीजेपी-जेजेपी गठबंधन ने बुधवार को ही अहम मंत्रालयों का बंटवारा कर लिया था। मंत्री बनने वालों की लिस्ट में पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अनिल विज का भी नाम है।

राहुल गांधी को संभलकर बोलने की भी नसीहत

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। राफेल डील की जांच की मांग वाली रिव्यू पिटिशन खारिज करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार चोर है वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर उन्हें नसीहत दी है। कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी को स्वीकार करते हुए अवमानना याचिका तो खारिज कर दी, पर यह भी कहा कि वह भविष्य में ऐसी बयानबाजी से बचें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और जाने-माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कई बार हमारी जुबान से ऐसे शब्द फिसल जाते हैं, लेकिन उद्देश्य अवमानना का नहीं होता। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के चौकीदार चोर है बयान को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ने पर अवमानना याचिका दाखिल की थी। दरअसल, राफेल मामले में मोदी सरकार पर हमला करने के लिए राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर टिप्पणी की थी। सारा विवाद इसी पर था।

आपको बता दें कि राहुल गांधी उस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने पीठ से कहा था कि पीएम मोदी से संबंधित अपनी टिप्पणी गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहने पर वह पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं।

नसीहत

चौकीदार चोर है बयान पर सुको ने राहुल गांधी को दी माफी

आगे संभलकर बोलें राहुल गांधी : सुप्रीम कोर्ट

गुरुवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मिस्टर राहुल गांधी को भविष्य में संभलकर बोलने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाषण देने में सतर्कता बरतें।

राहुल गांधी ने उठाई जेपीसी जांच की मांग

नई दिल्ली। राफेल डील की जांच की मांग वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज करने के बाद भी इस पर आरोपों का दौर खत्म नहीं हुआ। एक तरफ बीजेपी ने सवाल उठाने वालों से माफी मांग की है तो कांग्रेस ने अब जेपीसी जांच की जरूरत बताई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, श्सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोसेफ राफेल घोटाले की जांच के लिए बड़ा द्वार खोला है। इस पर जांच शुरू होनी चाहिए।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in